संलग्नक -1

माननीय प्रबन्ध परिषद् की चतुर्थ बैठक दिनांक 16.03.05 का कार्यवृत्त

माननीय प्रबन्ध परिषद् की चतुर्थ बैठक दिनांक 16.03.05 को पूर्वाह्न 11 बजे उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद, गोमतीनगर, लखनऊ के सभाकक्ष में सम्पन्न हुई।

माननीय प्रबन्ध परिषद् की बैठक में उपस्थिति निम्नवत् थी–

1	डा0 पी0 पी0 सिंह, कुलपति	अध्यक्ष
2	डा0 ओम प्रकाश शर्मा, एम0 एल0 सी0	सदस्य
3	प्रो0 रवीन्द्र पुन्डीर, विधायक	सदस्य
4	श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, विधायक	सदस्य
5	श्री आर0 पी0 सिंह, आई0 ए0 एस0 विशेष सचिव (वित्त)	सदस्य
6	श्री भाष्कर उपाध्याय, पी0 सी0 एस0 विशेष सचिव (कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान)	सदस्य
7	श्री आर0 एस0 पाण्डेय, निदेशक (कृषि)	सदस्य
8	श्री हेमन्त कुमार सक्सेना, वित्त नियंत्रक	सचिव

माननीय प्रबन्ध परिषद् के माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत करते हुए माननीय कुलपति जी/अध्यक्ष ने बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की।

माननीय सदस्यों द्वारा माननीय प्रबन्ध परिषद् की बैठक नियमित रूप से कम अन्तराल पर आहूत करने हेतु सुझाव दिया गया जिस पर सहमति व्यक्त करते हुए माननीय कुलपति जी/अध्यक्ष द्वारा आगामी बैठक शीघ्र आहूत करने का आश्वासन दिया गया।

(कार्यवाही – वित्त नियंत्रक)

संकल्प सं0 1–माननीय प्रबन्ध परिषद् की तृतीय बैठक दिनांक 07.11.03 के कार्यवृत्त की पुष्टि

सर्वसम्मति से माननीय प्रबन्ध परिषद् की तृतीय बैठक दिनांक 07.11.03 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

संकल्प सं0 2–माननीय प्रबन्ध परिषद् की तृतीय बैठक दिनांक 07.11.03 में पारित संकल्पों की अनुपालन आंख्या –

माननीय प्रबन्ध परिषद की तृतीय बैठक दिनांक 07.11.03 की अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया एवं इसके अन्तर्गत प्रबन्ध परिषद की द्वितीय बैठक दिनांक 22.07.03 के सं0 2(3) विश्वविद्यालय की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के मद के अन्तर्गत निर्देशित किया गया कि जल निगम द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यो की धीमी प्रगति से शासन को पुनः अवगत कराया जाये एवं शासन से अनुरोध किया जाये कि शासन समय सीमा निर्धारित करते हुए जल निगम को शेष निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु आदेशित करें।

(कार्यवाही – प्रभारी अधिकारी, निर्माण)

संकल्प सं0 3–गोपनीय (नियुक्तियों के सम्बन्ध में)

सम्यक विचारोपरान्त माननीय प्रबन्ध परिषद् द्वारा पारित किया गया कि शासन द्वारा स्वीकृत पदों के विरूद्ध नियुक्तियों, कैरियर एडवान्समेंट स्कीम एवं पर्सनल प्रमोशन स्कीम के अन्तर्गत प्रौन्नतियों हेतु परीक्षणोपरान्त चयन समितियों की संस्तुतियों के बन्द लिफाफों को खोलने एवं संस्तुतियों के अनुसार नियुक्तियों के लिए माननीय कुलपति जी को अधिकृत किया जाता है।

(कार्यवाही – मुख्य कार्मिक अधिकारी)

संकल्प सं0 4–पुनरीक्षित बजट वर्ष 2003–04 का वार्षिक बजट 2004–05

माननीय प्रबन्ध परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से पुनरीक्षित बजट 2003–04 एवं वार्षिक बजट 2004–05 पारित किया गया।

(कार्यवाही – वित्त नियंत्रक)

संकल्प सं0 5–गोपनीय (श्री नसीम अहमद का प्रकरण)

माननीय प्रबन्ध परिषद् द्वारा श्री नसीम अहमद के प्रकरण में माननीय कुलपति जी द्वारा कृत कार्यवाही की पुष्टि की गई एवं श्री नसीम अहमद को किये गये वेतनादि के भुगतान का अनुमोदन किया गया।

श्री नसीम अहमद के पदनाम, प्रौन्नति एवं समयमान वेतनमान के सम्बन्ध में परीक्षण कर संस्तुति देने हेतु माननीय प्रबन्ध परिषद की उप–समिति का निम्नवत् गठन किया गया –

1	डा0 ओम प्रकाश शर्मा, एम0 एल0 सी0	अध्यक्ष
2	निदेशक (कृषि) उ0 प्र0	सदस्य
3	प्रो0 शमशेर, विभागाध्यक्ष (कृषि अभियंत्रण)	सदस्य

उपरोक्त उप–समिति की संस्तुतियॉं माननीय प्रबन्ध परिषद् के समक्ष प्रस्तुत की जायें जिसके आधार पर श्री नसीम अहमद के प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जायेगी।

(कार्यवाही – मुख्य कार्मिक अधिकारी/प्रो0 शमशेर)

अन्य प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय की अनुमति से –

संकल्प–अ–1 नियुक्ति के समय पी0एच–डी0 एवं एम0फिल0 डिग्री धारकों को वेतन में क्रमशः 4 व 2 अग्रिम वेतन वृद्धियॉं अनुमन्य करने के सम्बन्ध में –

पारित किया गया कि उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0 290/12–8–200–400(43/994) दिनांक 7.02.2000 में वर्णित प्रावधान के अन्तर्गत पी0एच–डी0 एवं एम0फिल0 योग्यताधारी शिक्षकों को शासनादेश के अनुसार क्रमशः 4 और 2 वेतनवृद्धियों की सुविधा अनुमन्य की जाती है। कृषि विश्वविद्यालय, पन्तनगर के कार्यालय आदेश

सं० पी०एम०एस० (ए) III/3289 दिनांक 31.05.1994 द्वारा नियुक्ति के समय एम०टेक०डिग्री धारकों को दी गई 2 वेतनवृद्धि की सुविधा कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ में कार्यरत एम० टेक० धारकों को भी अनुमन्य की जाती है।

(कार्यवाही – मुख्य कार्मिक अधिकारी/नियंत्रक)

संकल्प–अ–2 डा० पी० के० सिंह, सह प्रशिक्षक, कृषि विज्ञान केन्द्र, सहारनपुर के असाधारण अवकाश प्रकरण के सम्बन्ध में

माननीय प्रबन्ध परिषद् द्वारा डा० पी० के० सिंह, सह प्रशिक्षक को दिनांक 25.12.01 से 13.07.03 तक के असाधारण अवकाश की स्वीकृति प्रदान की गई।

(कार्यवाही – मुख्य कार्मिक अधिकारी/का० निदेशक, प्रसार)

संकल्प–अ–3 श्रीमती सुनीता पन्त, ट्रेनिंग एसोशिएट (गृह विज्ञान), कृषि विज्ञान केन्द्र, उझानी के अवकाश प्रकरण के सम्बन्ध में

पारित किया गया कि श्रीमती सुनीता पन्त, ट्रेनिंग एसोशिएट को दिनांक 28.04.02 से 30.04.02 तक तीन दिन का उपार्जित अवकाश एवं दिनांक 01.05.02 से 23.12.02 तक 237 दिन का चिकित्सा अवकाश (कुल 240 दिन) पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया जाता है। श्रीमती पन्त को दिनांक 24.12.02 से 01.03.03 तक कुल 69 दिन का अवकाश Leave without pay स्वीकृत किया जाता है।

(कार्यवाही – मुख्य कार्मिक अधिकारी/का० निदेशक, प्रसार)

संकल्प–अ–4 कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर मृतक आश्रित के नियोजन के सम्बन्ध में

पारित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा मृतक आश्रित के सम्बन्ध में जारी एक्ट /शासनादेशों के अन्तर्गत विश्वविद्यालय में मृतक आश्रित को नियोजित करने के लिए माननीय कुलपति जी को अधिकृत किया जाता है। यह सुविधा पूर्व प्रकरणों में भी लागू होगी।

(कार्यवाही – मुख्य कार्मिक अधिकारी)

संकल्प–अ–5 विश्वविद्यालय में नियुक्ति शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन निर्धारण के प्रकरण

पारित किया गया कि ऐसे शिक्षक, अधिकारी व कर्मचारी जो पूर्व में विश्वविद्यालय, डिग्री कालेज, राजकीय विभाग अथवा राजकीय संस्थाओं में कार्यरत थे, उन्हें कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ में उनकी नियुक्ति के समय पूर्व नियोक्ता द्वारा आहरित अन्तिम वेतन के बराबर मूल वेतन नियमानुसार निर्धारित किया जायेगा।

(कार्यवाही – मुख्य कार्मिक अधिकारी/नियंत्रक)

संकल्प–अ–6 **विश्वविद्यालय में जनसम्पर्क अधिकारी एवं सहायक निदेशक फसल अनुसंधान केन्द्र के पद पर तदर्थ नियुक्ति का प्रकरण**

माननीय प्रबन्ध परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से माननीय कुलपति जी द्वारा जनसम्पर्क अधिकारी के 1 पद एवं सहायक निदेशक, फसल अनुसंधान केन्द्र के 1 पद पर की गई 6 माह की तदर्थ नियुक्तियों की पुष्टि की गई।

(कार्यवाही – मुख्य कार्मिक अधिकारी)

संकल्प–अ–7

माननीय प्रबन्ध परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय के एक छात्र के साथ कुकर्म किये जाने के प्रकरण में आरोपी डा० आर० के० नरेश, सह प्राध्यापक (सस्य विज्ञान) को कार्यालय आदेश सं० सवभाप/448/2004 दिनांक 15.06.04 द्वारा निलम्बित कर दिया गया है। डा० आर० के० नरेश के विरूद्ध विभागीय जॉच की कार्यवाही की जा रही है। माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा उक्त कार्यवाही हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाही – मुख्य कार्मिक अधिकारी)

संकल्प–अ–8

पारित किया गया कि ऐसे प्रकरण जिनमें परिवीक्षा अवधि (Probation Period) के दौरान शिक्षकों/अधिकरियों/कर्मचारियों का कार्य अथवा व्यवहार अंसतोषजनक हो, उन प्रकरणों में परिवाक्षा अवधि बढ.ाने एवं गम्भीर मामलों में सेवा समाप्ति के लिए कुलपति जी को अधिकृत किया जाता है।

(कार्यवाही – मुख्य कार्मिक अधिकारी)

अन्त में माननीय अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गई।

(हेमन्त कुमार सक्सेना)
वित्त नियंत्रक/सचिव, प्रबन्ध परिषद्

अनुमोदित

19/3/05
(पी० पी० सिंह)
कुलपति/अध्यक्ष, प्रबन्ध परिषद्